



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 147-2020/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, OCTOBER 8, 2020 (ASVINA 16, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 अक्टूबर, 2020

संख्या 3/14-एफ०ए०-2020.— खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्या 34), की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, इसके द्वारा, निम्नलिखित 02 चिकित्सा अधिकारियों तथा 01 कैंमिस्ट (खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त) को रेलवे स्टेशनों एवं रेलवे कालोनियों के सिवाये सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए उपरोक्त अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रूप में नियुक्ति करते हैं, अर्थात् :-

1. डॉ० हर्ष कुमारी
2. डॉ० जोगिन्द्र सिंह
3. श्री विरेन्द्र कुमार

ललित सिवाच,
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT
FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION DEPARTMENT

Notification

The 8th October, 2020

No. 3/14-F.A.-2020.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section-37 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Commissioner, Food Safety, hereby appoints following 02 Medical Officers and 01 Chemist (Food Safety Officers on deputation) to entire State of Haryana except Railway Stations and Railway Colonies, under the FSS Act, as Food Safety Officers, namely :-

1. Dr. Harsh Kumar
2. Dr. Jogender Singh
3. Sh. Virender Kumar

LALIT SIWACH,
Commissioner, Food Safety, Haryana.